



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-JH28307923009404S
Certificate Issued Date	: 02-Jun-2020 01:54 PM
Account Reference	: CSCACC (GV)/ jhcsceg07/ JH-PLBIR0005/ JH-PL
Unique Doc. Reference	: SUBIN-JHJHCSCEG0741951160067545S
Purchased by	: NEHA KUMARI
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: SALE DEED
Consideration Price (Rs.)	: 7,98,724 (Seven Lakh Ninety Eight Thousand Seven Hundred Four only)
First Party	: RADHIYA DEVI
Second Party	: NEHA KUMARI
Stamp Duty Paid By	: NEHA KUMARI
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 32,000 (Thirty Two Thousand only)



.....Please write or type below this line.....

1813



3. लेख्य प्रकार— विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य— (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य— मो० 7,98,724/- (सात लाख अठानवे हजार सात सौ चौबीस) रुपये मात्र।

(ख) देय मूल्य— मो० 7,00,000/- (सात लाख) रुपये मात्र।

(5) सम्पत्ति का विवरण—

मवाजी 3428 डिसमील (तीन दशमलव चार दो आठ डिसमील) जमीन आवासीय गृह निर्माण योग्य अन्तर्गत मौजा रेडमा वार्ड नं० 19 अंचल, नगरनिगम एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके निबन्धन कार्यालय एवं जिला अवर निबन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारी को खरीदगी हक हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग ही अंश है—

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

मौजा	थाना नं०	लीजी नं०	वार्ड नं०	नगर निगम हो० नं०
रेडमा	188	58	19	19A0000051000M0

खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकमा
494 (चार सौ चौरानवे)	2179 (दो हजार एक सौ उनासी)	3428 डिसमील (तीन दशमलव चार दो आठ डिसमील)

चौहदी—

उत्तर :- रोड एवं अरुण राम

दक्षिण :- जलील मियां

पूरब :- धर्मेन्द्र यादव एवं दशरथ साव

पश्चिम :- बेबी देवी

जमीन का माप

उत्तर से दक्षिण दोनों तरफ 48 फीट लम्बा

पूरब से पश्चिम उत्तर तरफ 33 फीट चौड़ा

पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 29 फीट चौड़ा

वार्षिक लगान अनुमानित— मो० 4/- रुपये अल्पसे सेंस।

शुभम कुमार तिवारी  
श्री मादकत तिवारी

नाम मालिक - झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी मेदिनीनगर जिला पलामू।

उल्लिखित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी ने स्वयं से दिनांक 20.11.2013 ई० को क़य कर प्राप्त किये हैं। जिसका केवाला न० 9947 बुक न० 1 वॉ० न० 343 पेज न० 331 से 332 तक है। नामांतरण वाद सं० 1488/2013-14 के आधार पर नामांतरण होकर डिमांड हो० न० 5300 पर चलता है तथा कम्प्युटरीकृत पंजी दो के भाग वर्तमान 28 पृष्ठ सं० 8 पर दर्ज है। उक्त भू-खण्ड पर का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदेन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारी को रुपये की सख्त जरूरत अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए समव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर-खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारी उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यधारिणी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका मलि-मौति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारी ने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से

पंजीरिणी

Ramesh Kumar

उचित और अधिकतम मूल्य देखकर बिक्री का सौदा क्रेता के साथ पक्का कर दिया।

विदित हो कि जरसमन की पूरी राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं० 20032247045 एवं 30504884483 के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं० 0107000190926368 में हस्तांतरित किया गया है। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारी को लेख्यधारिणी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह कंवाला (विक्रय पत्र) आज से पूरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारी ने उपर खाना सरख्या पॉच में वर्णित सम्पत्ति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारिणी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर बनवा कर अपने परिवार के साथ निवास करें या चाहरदिवारी के अंदर लावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारीयों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारिणी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पत्ति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

मैंने लेख्यधारिणी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारी के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारी करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तांतरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विषय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी तरह भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

03/06/2020  
श्री. वि. प्रसाद  
श्री. वि. प्रसाद

श्री. वि. प्रसाद  
श्री. वि. प्रसाद

रजिस्ट्रार  
श्री. वि. प्रसाद

Neha Kumari

3.6.2020



दस्तावेज क्रमांक ला. नं. 111/03  
मेदिनीनगर, पलामू



श्री. वि. प्रसाद मेहता दस्तावेज नवीस ला. नं. 111/03 स्वामिनीकरण प्रमाणित करना है कि दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर लगा है का वास्तविकता में सभी संबंधितों का विधान मेरे सामने सिद्ध किया गया है।

मजबूत करी - श्री. वि. प्रसाद मेहता दस्तावेज नवीस ला. नं. 111/03 स्वामिनीकरण केपाला पढ़ कर दोनों पक्षों के सूता-समाप्ति दिया बोले कि ठीक है ता: 03/6/2020